

संसद भवन के सेंट्रल हाल में आयोजित विदाई समारोह में

माननीय राष्ट्रपति

श्री राम नाथ कोविन्द

का संबोधन

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2022

आज, आप सबसे जब मैं विदा ले रहा हूँ, तो मेरे हृदय में अनेक पुरानी स्मृतियां उमड़ रही हैं। इसी परिसर में वर्षों तक एक सांसद के रूप में मैंने न जाने कितने सहयोगी सांसदों के साथ यादगार पल बिताए हैं। पांच साल पहले इसी सेंट्रल हाल में मैंने राष्ट्रपति के पद की शपथ ली थी। सांसद होने के नाते आप सभी का, इस लोकतन्त्र के मंदिर में एक प्रतिष्ठित स्थान है। और मेरे हृदय में भी आप सबके लिए एक विशेष स्थान है और सदैव बना रहेगा।

आप सबके लिए यह विशेष गौरव की बात है कि आप सब भारत की जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। भारत की जनता ने, आप सबके माध्यम से, मुझे राष्ट्रपति के रूप में चुनकर देश की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं देशवासियों का सदैव आभारी रहूंगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से जिस दायित्व को निभाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ उसका निर्वहन आप सभी के सहयोग के बिना संभव नहीं था। इसके लिए मैं आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ। अपने कार्यकाल के दौरान मैंने अपनी पूरी क्षमता से अपने

कर्तव्यों का निर्वहन करने का प्रयास किया है। आप सबने मेरे प्रति जिस अटूट विश्वास का परिचय दिया उसके बल पर मैं अपने कर्तव्यों को भली-भांति निभा सका। मेरे सभी पूर्ववर्ती राष्ट्रपति मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं।

माननीय सदस्यगण,

राष्ट्रपति और सांसद-गण उसी विकास-पथ के सहयात्री हैं जो हमारे देश को प्रगति की उच्चतर उपलब्धियों की ओर ले जा रहा है। इस पथ को प्रशस्त करने वाली महान विभूतियों ने हमारे संविधान की रचना करके हमारी लोकतान्त्रिक व्यवस्था की नींव रखी। यद्यपि संविधान सभा के सदस्यों को ही हमारे संविधान की रचना का श्रेय जाता है लेकिन वह ऐतिहासिक कार्य उन्होंने भारत के लोगों के प्रतिनिधि के रूप में किया था। इसीलिए हमारा संविधान 'हम, भारत के लोगों' द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। भारत के लोग ही, अपने प्रतिनिधियों, अर्थात् आप सभी माननीय सांसदों, के माध्यम से अपने गणतंत्र की यात्रा का मार्गदर्शन करते हैं। इसीलिए संसद को 'लोगों के तंत्र' यानि 'लोकतंत्र' का मंदिर भी कहा जाता है।

हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होती है जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। इस संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप, अपनी भावना का समावेश करते हुए, मैं राष्ट्रपति को संसदीय परिवार के अभिन्न अंग के रूप में देखता हूँ। जैसा कि किसी भी परिवार में होता है, संसद में भी कभी-कभी मतभेद होते रहते हैं। आगे का रास्ता कैसे तय करना है, इस विषय पर विभिन्न दलों के विचार अलग-अलग हो सकते हैं। लेकिन हम सब संसद-रूपी परिवार के सदस्य हैं, जिनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है - राष्ट्र-रूपी विशाल संयुक्त-परिवार के हित में निरंतर कार्य करते रहना। राजनीतिक प्रक्रियाएं, राजनीतिक दलों के अपने तंत्रों के माध्यम से संचालित

होती हैं, लेकिन पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए और 'राष्ट्र सर्वोपरि' की भावना से यह विचार करना चाहिए कि देशवासियों के विकास और कल्याण के लिए कौन-कौन से कार्य आवश्यक हैं।

जब हम पूरे राष्ट्र को एक विशाल संयुक्त-परिवार के रूप में देखते हैं, तो यह समझ में आता है कि पारिवारिक मतभेदों को सुलझाने के अनेक रास्ते हो सकते हैं जो शांति, सद्भाव और संवाद पर आधारित होते हैं। विरोध प्रकट करने के अनेक संवैधानिक रास्ते राजनीतिक दलों और नागरिकों को उपलब्ध हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शांति और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह के अस्त्र का इस्तेमाल किया था। लेकिन वे दूसरे पक्ष का सम्मान भी करते थे। हमारे नागरिकों को अपनी मांगों के लिए दबाव बनाने का तथा विरोध करने का संवैधानिक अधिकार उपलब्ध है, लेकिन मेरे विचार से, इस अधिकार का प्रयोग हमेशा गांधीवादी तौर-तरीकों के अनुरूप शांतिपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए।

माननीय सदस्यगण,

मेरे कार्यकाल के दौरान दो अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक आयोजन किए गए हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष में अनेक यादगार समारोह पूरे देश में आयोजित किए गए। इस संदर्भ में मैं स्वच्छ भारत अभियान की परिवर्तनकारी उपलब्धियों का उल्लेख करना चाहूंगा। यह कहा जा सकता है कि स्वच्छता का यह राष्ट्रीय अभियान सरकार और देशवासियों की ओर से महात्मा गांधी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि रहा है। दूसरे ऐतिहासिक आयोजन के रूप में भारत की स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में, देशवासियों द्वारा 'आजादी का अमृत महोत्सव' उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। मैं इन दोनों ऐतिहासिक अवसरों से जुड़े अत्यंत प्रभावशाली

आयोजनों के लिए देश की जनता व सरकार को बधाई देता हूं। इन कार्यक्रमों में युवाओं से लेकर वयोवृद्ध नागरिकों तक, सभी के द्वारा, समान उत्साह के साथ भागीदारी और देश के गौरवशाली इतिहास से उनके जुड़ाव को देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है।

माननीय सदस्यगण,

वर्ष 2020 में, देखते-देखते हमारी दुनिया बदल गई। लगभग 100 साल बाद, एक वैश्विक महामारी ने मानवता को झकझोर कर रख दिया। कोविड-19 की त्रासदी के दुष्परिणामों से पूरी दुनिया अब तक जूझ रही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम सब यह आशा करते हैं कि पूरा विश्व समुदाय इस महामारी से भविष्य के लिए उपयोगी सबक हासिल करेगा। पहला सबक यह है कि मानव समाज यह भूलने लगा था कि वह प्रकृति का ही एक अभिन्न हिस्सा है। वास्तविकता यह है कि वह न तो प्रकृति से अलग है और न ही वह प्रकृति से ऊपर है। महामारी का प्रकोप, कुछ हद तक, पर्यावरण में हुए असंतुलन से भी जुड़ा है। पिछले दो वर्षों की विभीषिका ने यह भी याद दिलाया है कि पूरी मानवता वास्तव में एक ही कुटुंब है और सभी का अस्तित्व आपसी सहयोग पर निर्भर करता है। कोविड का सामना करने में भारत के प्रयासों की विश्वव्यापी सराहना हुई है। सबके प्रयास से हमने केवल 18 महीने में ही 200 करोड़ वैक्सीन लगाने का लक्ष्य प्राप्त किया है। कोरोना-काल में हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन पहुंचाया ।

यदि हम अपनी नीतियों के निर्धारण में इस वैश्विक महामारी से प्राप्त शिक्षाओं को अपनाते हैं, तो मुझे लगता है कि भविष्य में किसी गंभीर आपदा के आने पर, उसका सामना हम अधिक दक्षता और आत्मविश्वास के साथ कर सकेंगे। जलवायु परिवर्तन अब वाद-विवाद का विषय नहीं रह गया है, बल्कि इसके

परिणाम हमारे जीवन को सीधे-सीधे प्रभावित करने लगे हैं। प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव तथा मानवता की साझा नियति में विश्वास, पर्यावरण की रक्षा करने में हमारी मदद कर सकता है। इस संदर्भ में, ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन में भारत की अग्रणी भूमिका तथा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा देने की पहल विशेष रूप से सराहनीय है।

माननीय सदस्यगण,

जब मैं जन-सेवक के रूप में अपने और सरकारों के प्रयासों के बारे में सोचता हूँ, तथा अपनी पूरी पीढ़ी की ओर से विचार करता हूँ, तो हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि समाज के हाशिए पर जीवन-यापन करने वाले लोगों के जीवन-स्तर को बेहतर बनाने के लिए, हालांकि बहुत कुछ किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हमारा देश धीरे-धीरे ही सही लेकिन सधे हुए कदमों से डॉक्टर आम्बेडकर के सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं मिट्टी से बने एक कच्चे घर में पला-बढ़ा हूँ, लेकिन अब ऐसे बच्चों की संख्या बहुत कम हो गयी है जिन्हें आज भी उन कच्चे घरों में रहना पड़ता है जिनमें छत से पानी टपकता हो। आज, बड़ी तादाद में हमारे गरीब भाई-बहनों के पास भी पक्के घर हैं। यह बदलाव काफी हद तक सरकार के विशेष प्रयासों से संभव हो पाया है। अब हमारी बहुत सी बेटियों और बहनों को पीने का पानी लाने के लिए मीलों पैदल नहीं चलना पड़ता है, क्योंकि हमारा प्रयास है कि हर घर नल से जल पहुंचे। हमने घर-घर में टॉयलेट्स भी बनवाए हैं जो एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत के निर्माण की नींव डाल रहे हैं। सूर्यास्त के बाद लालटेन या दिया जलाने की यादें भी पुरानी हो रही हैं क्योंकि लगभग सभी गांवों तक बिजली का उजाला पहुंच गया है।

जैसे-जैसे हमारे देशवासियों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही हैं, उनकी आकांक्षाओं में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव का बड़ा रोचक एहसास पिछले महीने ही अपनी वृंदावन यात्रा के दौरान मुझे हुआ जब वहां एक आश्रम में रहने वाली एक वृद्ध महिला ने मुझसे हेलीकॉप्टर की सवारी कराने का अनुरोध किया! आज सामान्य देशवासियों के सपनों को उड़ान मिल रही है। यह बदलाव भेदभाव रहित सुशासन द्वारा ही संभव हो सका है। सामान्य जन के जीवन को बेहतर बनाने वाली यह समावेशी प्रगति बाबासाहब आम्बेडकर की परिकल्पना के सर्वथा अनुरूप है।

महिलाओं में सशक्तीकरण की भावना को निरंतर मजबूत होते देखकर मुझे विशेष संतोष का अनुभव होता है। यह सशक्तीकरण युवा पीढ़ी की हमारी बेटियों को और आगे बढ़ा रहा है। मैंने जितने दीक्षांत समारोहों में भाग लिया है, उनमें से अधिकांश संस्थानों में मैंने यह देखा है कि बेटियों का प्रदर्शन लड़कों से बेहतर रहा है। मुझे विश्वास है कि 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' इस बदलाव को और तेजी से आगे बढ़ाएगी। मेरा मानना है कि आने वाले वर्षों में महिला सशक्तीकरण से हमारा समाज और अधिक मजबूत होगा। स्त्री-पुरुष के बीच समानता के इस अभियान का प्रभाव अन्य क्षेत्रों में हो रही प्रगति में भी परिलक्षित होता है।

माननीय सदस्यगण,

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं राष्ट्रपति पद के लिए नव-निर्वाचित, श्रीमती द्रौपदी मुर्मु को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर्वोच्च संवैधानिक पद पर उनका चुनाव महिला सशक्तीकरण को बढ़ाने के साथ-साथ समाज के संघर्षशील लोगों में महत्वाकांक्षा का संचार करने वाला है। मुझे पूरा

विश्वास है कि उनके अनुभव, विवेक और व्यक्तिगत आदर्श से पूरे देश को प्रेरणा मिलेगी और मार्गदर्शन भी।

मैं एक बार फिर आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आप सबके साथ काम करने का मेरा अनुभव अविस्मरणीय रहा है। आप सबने संसद के अंदर और बाहर, देश की जनता के हित से जुड़े अनेक कार्य किए हैं। इसके लिए मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ। अपने कार्यकाल के दौरान, मैंने आप सबके साथ विभिन्न आयोजनों में विचारों का आदान-प्रदान किया है। मैंने समय-समय पर सांसदों के तथा अन्य क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के अनेक प्रतिनिधि-मंडलों से भी मुलाकात की है। राष्ट्रपति के पद को आप सबने जिस प्रकार निरंतर सम्मान दिया है, उसकी मैं सराहना करता हूँ। इस दौरान मुझे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ काम करने का भी अवसर मिला है। उन सब ने मुझे जो विशेष सम्मान दिया है उसके लिए मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ।

मैं उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू को उनके सतत सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। वेंकैया जी ने राज्यसभा के सभापति के रूप में और ओम बिरला जी ने लोक सभा के अध्यक्ष के रूप में जिस तरह संसद के कार्यकलापों को संचालित किया है तथा देश की महान संसदीय परंपराओं को आगे बढ़ाया है, उसके लिए आप दोनों बधाई और सराहना के पात्र हैं। मुझे राज्यों के राज्यपालों व मुख्यमंत्रियों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उप-राज्यपालों व प्रशासकों से भी पूरा सहयोग मिलता रहा है। उन सबके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ।

मुझे विश्वास है कि आप सभी सांसदगण, हमारे सभी देशवासियों, विशेष रूप से जो विकास यात्रा में पीछे रह गए हैं, उनकी सेवा करने के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे। साथ ही, आप सब, हमारे महान संविधान के अनुरूप, सर्वोच्च

लोकतांत्रिक परंपराओं को और भी मजबूत बनाएंगे। मेरी शुभकामना है कि आप सब, समाज व राष्ट्र को और अधिक मजबूत बनाने के अपने प्रयासों में, सफलता प्राप्त करें।

धन्यवाद,

जय हिन्द!